रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
27 JUN 1969
GOVERNMENT OF INDIA

सं० 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 21, 1969 (ज्येष्ठ 31, 1891)

No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 21, 1969 (JYAISTHA 31, 1891)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 23 मई 1969 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 23rd May 1969 :—

अंक Issue No.	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
66.	No. 68-ITC (PN)/69, dt.12-5-69.	Min. of Foreign Trade & Supply.	Import Policy for News-print printing and writing paper (excluding laid marked paper which contains mechanical wood pulp amounting to not less than 70 per cent of fire contents S. No. 44/V-for the year April 1969—March 1970.
	No. 69-ITC (PN)/69, dt. 12-5-69.	Do.	Import of fruits, dried, salted or preserved all sorts, N.O.S. excluding Dates [S. No. 21 (*a*) (*ii*)/IV], (*ii*) Dates [S. No. 21 (*ii*)/IV], (*iii*) Medical Herbs (Crude Drugs) (S. No. 87-109-IV), (*iv*) Asafoetida [S. No. 31 (*b*)/V], and other misc. items from Iran during April-September 1969 licensing period.
	No. 70-ITC (PN)/69, dt. 12-5-69.	Do.	Import Policy for the year April 1969—March 1970.
	No. 71-ITC (PN)/69, dt.12-5-69	Do.	Grant of Import licences for raw materials and components to actual users in the small scale sector, during April—1969 March 1970, items licensable on restricted basis.
67.	No. 1(15)/Tex (I)/66-tex (A) dt. 15-4-69.	Min. of Commerce.	Statutory control scheme for working out the prices of cotton yarn and cloth.
68.	No. 37/1/VII/69/T, dt. 19-5-69.	Lok Sabha Secretariat.	Proroguing the Lok Sabha.
	सं० 37/1/सात/69/टी, दिनांक 19 मई 1969	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा का सत्रावसान करना ।
69.	No. 4(27)-Tex (C)/69, dt. 19-5-69.	Min. of Foreign Trade & Supply.	Reconstitution of the all-India Handloom Board.
	सं० 4(27)-टैक्स(सी)/69, दिनांक 19 मई 1969	विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय	अखिल-भारतीय हथकरघा बोर्ड को पुनर्-गठित करना ।
70.	No. 72-ITC (PN)/69, dt. 19-5-69.	Min. of Foreign Trade & Supply.	Import of fabrics made out of synthetic yarns and stainless steel manufactures from Nepal during the year 1969-70.
	No. 73-ITC (PN)/69, dt. 19-5-69.	Do.	Import licensing policy for iron and steel items and Ferro-alloys for the licensing period April, 1969—March 1970.
71.	No. WB-8(15)/68, dt. 20-5-69.	Min. of Labour, Employment & Rehabilitation.	Appointment of the second control Wage Board for the Cotton Textile Industry.

अंक Issue	संख्या और तारीख No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
72.	No. RS. 1/2/69-L, dt. 21-5-69	Rajya Sabha Sectt.	Proroguing the Rajya Sabha.
	सं० आर० एस० 1/2/69–एल० दिनांक 21 मई, 1969	राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा का सत्रावसान करना
73	No. 37/1/VIII/65/T, dt. 23-5-69	Lok Sabha Sectt.	Summoning the Lok Sabha on 21st July/69.
	सं० 37/1/आठ/69/टी० दिनांक 23 मई, 1969	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा को आभिव्यक्त करना 21 जुलाई 1969 को
74	No. 75-ITC(PN)/69, dt. 23-5-69	Min. of Foreign Trade & Supply.	Export effort by units engaged in priority or other industries during the year 1968-Production of evidence regarding

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तारीख से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूचि (CONTENTS)

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	505
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	677
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . .	567
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (1)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	1655
भाग II—खंड 3—उप-खंड (2)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	2461
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	293
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न तथा अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	589
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें .	229
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	69
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं .	343
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . .	111
पूरक संख्या 25—	
14 जून 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्ट	1045
24 मई 1969 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म, तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु से सम्बन्धित आंकड़ें .	1061

विषय-सूचि (CONTENTS)

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	505
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	677
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	567
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules, (including orders, bye-laws, etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1655
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2461
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	293
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	589
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta.	229
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	69
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	343
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	111
SUPPLEMENT No. 25—	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 14th June 1969	1045
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week-ending 24th May 1969	1061

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम् न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

---

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 1969

सं० 32-प्रेज/69—राष्ट्रपति सीमा शुल्क सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री नरेश चन्द्र भट्टाचार्जी,
उप-निरीक्षक,
84वीं बटालियन सीमा सुरक्षा दल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

30 अगस्त, 1967 को 29 कांस्टेबलों के साथ मिजो पहाड़ी क्षेत्र में गश्त लगाते समय श्री नरेश चन्द्र भट्टाचार्जी को सूचना मिली कि विद्रोहियों के एक सशस्त्र दल की पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में घुसने की संभावना है। तदनुसार 6 सितम्बर, 1967 को थुंगशारा में घात लगाई गई। लगभग 5-30 बजे सांय दो विद्रोहियों ने एक कुली के साथ नदी पार की और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। ये लोग लगभग 10 सशस्त्र विद्रोहियों के एक दल को नदी के दूसरी ओर पाकिस्तानी क्षेत्र में अपनी आग्रति का बचाव करने के लिए छोड़ आए थे। आगे बढ़ने वाले विद्रोहियों को भारतीय पुलिस दल की उपस्थिति का आभास हो गया और उन्होंने उन पर गोली चलाई। श्री भट्टाचार्जी गोली से बाल-बाल बचे। प्रसन्नसनीय पहलशक्ति के साथ उन्होंने तत्काल घात की पुनर्व्यवस्था की ओर स्वयं प्रेक्षण-स्थान की ओर अग्रसर हुए। स्वयं अपने जीवन के लिए एक बड़ा खतरा उठाते हुए उन्होंने एक विद्रोही तथा कुली को मार डाला। उन्होंने अपनी गोली से दूसरे विद्रोही को भी घायल कर दिया जो पाकिस्तान को वापस जाते हुए नदी पार करते समय मर गया। इसी बीच मृतकों तथा उनके हथियारों को ले जाने के लिए नदी के पाकिस्तानी क्षेत्र से विद्रोहियों ने गोली चलाई। श्री भट्टाचार्जी ने पुनः अपने दल को व्यवस्थित किया और विद्रोहियों को पीछे धकेल दिया जो पाकिस्तान के क्षेत्र

में वापस चले गये। कुछ शस्त्र तथा गोला-बारूद बरामद किये गये।

इस कार्यवाही में श्री नरेश चन्द्र भट्टाचार्जी ने आगे बढ़ने वाले विद्रोहियों का सफाया करने में विशिष्ट उत्साह एवं वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6 सितम्बर, 1967 से दिया जायेगा।

दिनांक 13 जून 1969

सं० 34-प्रेस/69—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री राम मुनि उपाध्य,
सहायक कमांडेंट,
87वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

श्री राम मुनि उपाध्य अपनी टुकड़ी के साथ मिज़ो पहाड़ियों में पुअंकाई सीमा बाहरी चौकी पर नियुक्त थे। 9 जून, 1968 की अपराह्न, जब के वे छः दिन की लम्बी गश्त से वापस आ रहे थे तो उन्हें सूचना मिली कि लगभग 15 सशस्त्र विद्रोहियों के एक दल के सीमा पार करके पाकिस्तान को जाने की सम्भावना है। यद्यपि गश्ती दल लम्बी गश्त के पश्चात् बहुत थक चुका था तो भी वे विद्रोहियों को बीच में रोकने के लिए तत्काल रवाना हो गये और उन्हें रोक लिया। उन्होंने केवल एक घंटे में लगभग 7 मील की दूरी तय की। विद्रोहियों ने सीमा सुरक्षा दल की गश्ती-टुकड़ी पर भारी गोलाबारी की। श्री उपाध्य ने अपनी टुकड़ी के एक भाग को विद्रोहियों को उलझाये रखने का आदेश दिया जब कि वह स्वयं शेष सिपाहियों को बगल के एक विशेष प्रमुख स्थान से आक्रमण करने के लिए ले गये। दोनों ओर से गोलाबारी पैंतालिस मिनट से अधिक देर तक होती रही और तब तक अंधेरा होने लगा। यह देखकर कि कहीं विद्रोही अंधेरे की आड़ में न बच निकलें श्री उपाध्य ने पीछे बचाव करने वालों की प्रतीक्षा किये बिना ही उन पर तुरन्त धावा बोल दिया। इस निश्चयात्मक आक्रमण से विद्रोही पूरी तरह चकित रह गये। उन्हें भारी क्षति उठानी पड़ी और चार मृतकों को वहीं छोड़कर, वे भाग गये। कुछ मूल्यवान उपकरण, कागजात और गोलाबारूद कब्जे में ले लिये गये। यह श्री उपाध्य की शीघ्र कार्यवाही तथा उत्कृष्ट साहस का ही परिणाम था कि सीमा सुरक्षा दल की गश्ती टुकड़ी ने विद्रोहियों के सीमा पार करके पाकिस्तान को जाने के प्रयास को विफल कर दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है।

सं० 35-प्रेस/69—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा दल के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री महेन्द्र नाथ चैतिया,
हैड कांस्टेबल,
87वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

मिज़ो पहाड़ियों में पुंअकाई सीमा की बाहरी चौकी पर सीमा सुरक्षा दल की एक टुकड़ी तैनात की गई थी। 9 जून, 1968 की अपराह्न, जब टुकड़ी छः दिन की गश्त के बाद वापिस लौट रही थी तो सूचना मिली कि लगभग 15 सशस्त्र विद्रोहियों के एक दल के सीमा पार करके पाकिस्तान जाने की सम्भावना है। यद्यपि लम्बी गश्त के पश्चात गश्ती दल बहुत थक गया था तो भी विद्रोहियों को रोकने के लिये वह फौरन रवाना हो गये और उन्हें रोक लिया। उन्होंने केवल एक घंटे में लगभग 7 मील की दूरी तय की। श्री महेन्द्र नाथ चैतिया गश्ती दल के द्वितीय समादेष्टा थे और उन्होंने विद्रोहियों को शीघ्रतिशीघ्र रोकने के लिए गश्ती दल के आदमियों को प्रोत्साहित किया। जब गश्ती दल ने विद्रोहियों से सम्पर्क स्थापित किया तो उन्होंने गश्ती दल पर भारी गोलाबारी शुरू कर दी। श्री चैतिया को विद्रोहियों को उलझाये रखने के लिये कहा गया। उन्होंने बड़े कौशल से जबाबी गोलाबारी की और विद्रोहियों पर आक्रमण करने में उत्कृष्ट साहस का प्रदर्शन किया। साथ ही उन्होंने गश्ती टुकड़ी के आदमियों को प्रेरित किया और अपने कम्पनी कमांडर की सहायता भी की। दोनों ओर से गोलाबारी 45 मिनट से अधिक देर तक होती रही। श्री चैतिया के नेतृत्व में टुकड़ी तथा शेष प्लाटून की इस निश्चित कार्यवाही के कारण विद्रोहियों को भारी क्षति उठानी पड़ी और वे मूल्यवान उपकरण, दस्तावेज तथा गोलाबारूद छोड़कर भाग गये।

2. यह पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जून, 1968 से दिया जायेगा।

व० जे० मोर, उप सचिव

योजना आयोग

संकल्प

लघु उद्योग के पैनल

दिनांक 7 जून 1969

सं० वी एस० (आई०)/27 (4)/68—इसी सं० के संकल्प दिनांक 11 जुलाई 1968 में आंशिक संशोधन करते हुए योजना आयोग सेवा निवृत्त डा० डी० के० मल्होत्रा, संयुक्त सचिव, योजना आयोग के स्थान पर एतद् द्वारा श्री एस०ई० जोसेफ, निदेशक (वी० एस० आई०), योजना आयोग को उक्त पैनल के सचिव के रूप में नियुक्त करता है।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाय और सभी संबन्धितों को भेजी जाये ।

भैरव दत्त पाण्डे, सचिव,
योजना आयोग

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 1969

संकल्प

सं० 4-15/68-भूमि—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) के संकल्प संख्या 6-6/67-जनरल II दिनांक 27 जुलाई, 1967, संकल्प सं० 4-15/68-भूमि दिनांक 5 मार्च, 1968, 24 जुलाई, 1968, 28 नवम्बर 1968 तथा 15 मार्च 1969 द्वारा भारत सरकार ने जो भूमि अर्जन पुनर्विचार समिति, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, के समस्त ढांचे को शीघ्रता से विकसित होने वाली अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में परीक्षा करने हेतु नियुक्त की थी, उसे अपनी रिपोर्ट 30 जून, 1969 तक प्रस्तुत करनी थी । अब भारत सरकार ने उस समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तिथि को 30 सितम्बर 1969 तक बढ़ा देने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा भूमि अर्जन समिति के सदस्यों को, भारत सरकार के समस्त मन्त्रालयों, विभागों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मन्त्रीमंडल सचिवालय, भारत सरकार के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, समस्त राज्यों और संघ क्षेत्र के राजस्व सचिवों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद् पुस्तकालय को भेजा जाए ।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचना के लिए भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

शरण सिंह, संयुक्त सचिव

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 1969

सं० 16-1/69-सी०ए० 2—भारत में उद्यान विकास ने उद्योग के रूप में बहुत महत्वपूर्णता प्राप्त की है । फल और सब्जियां सहायक-खाद्य पदार्थों के रूप में महत्वपूर्ण है और ये अनिवार्य संरक्षी खाद्य प्रदान करके मानव-पोषण में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इनमें से कुछ फसलें निर्यात के लिए काफी अच्छी सम्भावनायें रखती हैं । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के शुरू होने पर, उद्यान विकास परियोजनायें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ कर दी गई हैं । गैर-सरकारी संस्था ने विशेषतया प्रसंस्करण में विशेष योगदान दिया है । देश की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए ठोस वैज्ञानिक कृषि-तकनीकियों को अपना कर इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने हेतु, उद्यान-विकास की गति को चौथी योजना में तीव्र करना होगा । समाकलित उद्यान-विकास पर्याप्त विपणन तथा प्रसंस्करण सुविधायें अवश्य ही उपलब्ध करेगा । देश में उद्यान-उत्पादन को बढ़ाने के लिए गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों को क्रियान्विति के हेतु सम्मिलित तथा सुसंमन्वित प्रयत्नों को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने एक उद्यान-विकास परिषद् की स्थापना करने का निर्णय किया है ।

2. तदनुसार परिषद् को निम्न प्रकार से संगठित किया गया है:—

(1) अध्यक्ष:	भारत सरकार द्वारा उत्पादकों के प्रतिनिधि को नामजद ।
(2) अपाध्यक्ष:	अवर सचिव उत्पादन, कृषि विभाग, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय ।
(3) सदस्य:	
(क) राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ।	आठ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कृषि या उद्यान विज्ञान के निदेशक प्रत्येक क्षेत्र से दो बारी-बारी से दो वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा नामजद ।
(ख) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	1. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि । 2. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि । 3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक या उसका प्रतिनिधि । 4. कृषि आयुक्त/संयुक्त आयुक्त (नकद फसल) 5. कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार । 6. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य, औद्योगिक अनुसंधान, संस्थान मैसूर या उसका प्रतिनिधि । 7. सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ।
(ग) उत्पादकों के प्रतिनिधि	फल और सब्जियों के प्रगतिशील 12 उत्पादक
(घ) व्यापार के तीन प्रतिनिधि	
(ङ) फल और सब्जी प्रसंस्कारण उद्योग के तीन प्रतिनिधि	

(च) समय समय पर भारत सरकार द्वारा ऐसे अन्य व्यक्तियों को नामजद किया जा सकता है जिनका प्रतिनिधि परिषद् में पहले नहीं हैं ।

(4) सदस्य सचिव: खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय (कृषि विभाग) में उपायुक्त (उद्यान-विज्ञान)

(5) प्रेक्षक: (जो समिति के सदस्य नहीं होंगे किन्तु परिषद् के कार्य में सहायता देने के लिए उन्हें निरन्तर आमंत्रित किया जायेगा)

1. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा अधिकृत संयुक्त सचिव (वित्त)
2. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के उद्यान-विज्ञान प्रभाग के प्रधान ।
3. निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उद्यान-विज्ञान अनुसंधान संस्थान, बंगलौर ।

3. यह परिषद् एक सलाहकार निकाय होगी और इसके कार्य निम्नलिखित होंगे:—

(1) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये उद्यान-विज्ञान-विकास कार्यक्रमों पर समय-समय पर विचार करना ।

(2) निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में उद्यान-विज्ञान-विकास की प्रगति पर विचार करना और पुनर्विलोकन करना ।

(3) उद्यान विकास कार्यक्रमों योजनाओं की, जहां भी आवश्यकता हो, प्रगति को तीव्र करने के लिये उपायों की सिफारिश करना ।

(4) उद्यान-विज्ञान की विपणन तथा व्यापार सम्बन्धी समस्याओं पर, जिसमें मूल्य नीति सम्मिलित है, विचार करना और उनका पुनर्विलोकन करना और सुधार के लिए सुझाव देना, तथा

(5) भारत सरकार द्वारा परिषद् को समय-समय पर सौंपा गया कोई भी अन्य कार्य ।

4. परिषद् के सदस्यों की अवधि 3 वर्ष होगी । जब भी कोई व्यक्ति किसी पद या नियुक्ति के कारण परिषद् का सदस्य नामजद किया जाता है, उसकी सदस्यता उस समय समाप्त हो जायेगी जब उस पद या नियुक्ति से हट जायेगा और वह स्थान उसके उत्तराधिकारी जो पद पर नियुक्त होगा, द्वारा भरा जायेगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की सूचना के लिये भारत के राज्यपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

सु० ज्यो० मजुमदार, अपर सचिव

(सामुदायिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 1969

संकल्प

सं० एफ० 5-1/66-पी० आर०—खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या 5-1/66-पी० आर० दिनांक 5-4-1969 में निम्न संशोधन किया जाता है :—

पैरा 2 में क्रम संख्या (12) के सामने

के लिए	"स्थानीय स्वायत्त शासन (ग्रामीण) तथा पंचायती राज राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल",
पढ़िए	'स्थानीय स्वायत्त शासन (ग्रामीण) मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल' ।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रति सचिव, स्थानीय स्वायत्त शासन (ग्रामीण), मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल को भेजी जाए ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

डा० एन० ए० आगा, संयुक्त सचिव

विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय

(विदेशी व्यापार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 जून 1969

सं० 4(20)-टैक्स० (डी०)/66—निर्यात-अभिमुख मुख्य कृषिगत् वस्तुओं के कार्यक्रमों का अन्वेषण करने के लिए समिति के गठन हेतु भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के संकल्प सं० 4(20)-टैक्स० (डी०)/66, दिनांक 13 दिसम्बर 1966 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :—अर्थात् :—

पैरा 1 में क्रम सं० 5 के बाद "सदस्य" के अन्तर्गत निम्नलिखित जोड़ा जाये :—

"6. श्री के० राममूर्ति, संयुक्त सचिव, कृषि विभाग —सह-सचिव

7. श्री पी० के० सामल,
संयुक्त सचिव,
विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय —सह-सचिव

पैरा 2 में—"समिति के विचारणीय विषय"—मद (iii) के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाता है :—

(iv) कृषिगत वस्तुओं के निर्यात सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं की जांच करना तथा शीघ्र परिणामों की प्राप्ति के लिए साधक उपाय सुझाना।"

ए० जी० वी० सुब्रह्मणियम, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

संकल्प (संशोधन)

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 जून 1969

सं० 7/1/69-एफ० आई० (एन० ए०)—फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के सम्बन्ध में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संकल्प संख्या 7/1/69-एफ०आई० (एन० ए०), तारीख 7 फरवरी 1969 जो बाद में संशोधन हुआ है [देखें संकल्प संख्या 7/1/69-एफ०आई० (एन०ए०), तारीख 5 अप्रैल 1969] में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है:—

नियम 6 के खण्ड (ज) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—
".....सूचना फिल्म (डाकुमेन्ट्री) को छोड़ कर"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व-साधारण के सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

सार्वजनिक सूचना

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

सं० 7/12/69-एफ० आई० (एन०ए०)—भारत सरकार ने फैसला किया है कि फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों की योजना के अंतर्गत जो फिल्में "सूचना फिल्म (डाकुमेन्ट्री)" के रूप में प्रविष्ट होंगी उनकी अधिकतम लम्बाई की कोई सीमा नहीं होगी। अतः इस छूट के कारण और प्रविष्टियां भेज सकने के लिये, 1968 में बनी फिल्मों के लिये राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिये इस श्रेणी के अन्तर्गत फिल्मों की प्रविष्टियों की अन्तिम तारिख 25 जून तक बढ़ा दी है।

बानू राम अग्रवाल, अवर सचिव

पोत परिवहन तथा परिवहन मन्त्रालय

(परिवहन पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1969

सं०-19-टी० (14)/68—देश में सड़क दुर्घटनाओं का आपतन गत कुछ वर्षों से वृद्धि की ओर है सरकार तथा गैर सरकारी एजन्सियों ने सड़क सुरक्षा प्रोन्नति के लिये तथा यातायात जोखिम को मिटाने के लिये अनेकों उपाय किये हैं। परन्तु इन उपायों के बावजूद स्थिति में कोई सार्थक सुधार नहीं हुआ है। यह विचार किया गया है कि सड़क सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है जिसमें आंकड़ों को संकलन और विश्लेषण शामिल है और कार्यान्वियन के लिये व्यवहारिक उपायों का सुझाव देना है। तदनुसार यह निश्चय किया गया है कि ऐसे अध्ययन के लिये अध्ययन दल नियुक्त किया जाये ताकि इससे ठोस प्रस्ताव निकल सकें।

2. अध्ययन दल की बनावट निम्न प्रकार होगी:—

अध्यक्ष

(1) प्रोफेसर के० टी० मरचेन्ट, "पंचशील" सी० रोड, मेरिन ड्राइव चर्चगेट, बंबई।

सदस्य

(2) श्री हिमत लाल वी० गांधी, 17, हार्निमन सर्किल, बंबई।
(3) श्री वी० एन० लहिरी, 3, पोनापा रोड, इलाहाबाद
(4) श्री इन्द्रकान्त पटेल, ट्रेक्टर हाउस, विश्वमित्री, बरोदा
(5) श्री डी०के० सेन, आकाशदीप, 5 लोअर रोडन स्ट्रीट, कलकत्ता।

श्री के० जी० सुब्रामनियन, सचिव वेस्टर्न इंडिया ओटोमोबाइल असोसिशन, बंबई अवैतनिक रूप में दल के सचिव का कार्य करेंगे।

3—अध्ययन दल का विचारणीय विषय निम्न लिखित होंगे:—

(क) भारत में शहरी क्षेत्रों में और राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं के आपतन की जांच करना, ऐसी दुर्घटनाओं के कारणों को अभिनिश्चित करना, और ऐसी सड़क दुर्घटनाओं के बारे में आंकड़े/सांख्यिकी के संकलन तथा विश्लेषण के लिये उपयुक्त संगठन-ढांचे का सुझाव देना;

(ख) सड़क सुरक्षा में सड़क प्रयोक्ताओं की शिक्षा के लिये उपायों और यातायात कानूनों तथा विनियमों के सुचारू प्रवर्तन का सुझाव देना और सड़क पर अधिकतम संभव सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सड़कों में सुधार, जैसा भी आवश्यक हो, की सिफारिश करना, और (ग) उपरोक्त (क) और (ख) संबंधी में जो भी उचित हो ऐसे ही अन्य उपायों को सुझाना।

4. अध्ययन दल का मुख्य कार्यालय बंबई में होगा लेकिन अपने कार्य के संबंध में ऐसे स्थानों पर भी जा सकेंगे जहां वह आवश्यक समझें। केन्द्रीय सरकार आशा करती है कि राज्य सरकार स्थानीय संस्थायें और अन्य संबद्ध दल को वे सब सहायता जो वह चाहे प्रदान करेंगे और जो भी सूचना मांगे, उसे देंगे।

5. अध्ययन दल अपनी प्रथम बैठक की तारीख से तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करने का प्रयास करेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि समस्त संबद्ध को भेज दी जाये, और इसे सामान्य सूचना के लिये भी भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये ।

के० नारायणन, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक 7 जून 1969

विषय:—राष्ट्रीय एकता के हित में जन आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिए शिक्षाविदों और छात्र संगठनों के नेताओं की एक समिति का गठन:

सं० एफ० 11-12/69-आई० एल०II (एन० आई० सी०)—राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति ने अक्तूबर, 1968 में हुई अपनी बैठक में, यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय एकता के हित में जन आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिये ऐसी कई समितियों का गठन किया जाना चाहिए, जिनमें राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हों । इन समितियों का मुख्य उद्देश्य होगा :

(क) राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने और विशेषकर के साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय तनावों को रोकने की दिशा में ऐसे विशेष समुदायों के योगदान पर तात्कालिकता की भावना से विस्तारपूर्वक विचार करना; तथा

(ख) परिषद के कार्यक्रमों तथा सिफारिशों तथा भाईचारे की भावना के प्रति राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में जागरुकता पैदा करना ।

उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए, भारत सरकार ने, शिक्षाविदों और युवक तथा छात्र संगठनों के नेताओं की एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(i) पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्याओं और पाठ्यपुस्तकों की जांच करना ताकि ऐसे सिद्धान्तों पर जोर दिया जा सके जिससे एकता और पारस्परिक सहिष्णुता बढ़ सके और ऐसी सामग्री को अलग करना जिससे किसी भी आधार पर दलों और समुदायों के बीच दुर्भावना अथवा घृणा बढ़ती हो, और

(ii) विद्यार्थियों और अध्यापकों के संगठनों में से ऐसी संकीर्ण अथवा ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिनसे साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर किया जा सके तथा उन में राष्ट्रीयता और भाईचारे की भावना भरी जा सके ।

गठन : शिक्षाविदों और युवक तथा छात्र संगठनों के नेताओं की समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

1. अध्यक्ष—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री —पदेन
2. सदस्य—40 सदस्य, जिनमें भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले, शिक्षाविद, युवक तथा छात्र नेता शामिल होंगे ।
3. सदस्य—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय —पदेन सचिव—में राष्ट्रीय एकता कार्य के कार्य-भारी संयुक्त सचिव

कार्यावधि—समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष होगा, किन्तु,

(i) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य रहेंगे जब तक वे उन पदों पर रहेंगे, जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं ।

(ii) नामजद सदस्य, नामजद करने वाले प्राधिकारी की इच्छापर्यन्त पदधारी रहेंगे, और

(iii) यदि किसी सदस्य के इस्तीफे, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान खाली हो तो, उक्त खाली स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य, तीन वर्ष की कार्यवधि की बाकी अवधि के लिए पदधारी होगा ।

बैठकें: शिक्षाविदों और युवक तथा छात्र संगठनों के नेताओं की समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार जरूर होगी । किन्तु, यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बैठक बुलाई जा सकती है ।

कार्य: समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

1. उसे सौंपे गए उद्देश्यों के आधार पर उपयुक्त कार्यक्रम बनाना तथा उनका विकास,
2. उपर्युक्त (1) को कार्यान्वित करने के लिए, उठाए जाने वाले कदमों के बारे में केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को सलाह देना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, आयोजना आयोग, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए, संकल्प, भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

विषय—राष्ट्रीय एकता के हित में जन आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिये लखकों की एक समिति का गठन

सं० एफ० 11-13/69-आई० एल०-2 (एन०आई०सी०)—राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति न अक्तूबर, 1968 में हुई अपनी बैठक में, यह सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय एकता के हित में जन आन्दोलन का नेतृत्व करने के लिये ऐसी कई समितियों का गठन किया जाना चाहिये, जिनमें राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्ति शामिल हों । इन समितियों का मुख्य उद्देश्य होगा: (क) राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने और विशेष करके साम्प्रदायिक तथा क्षेत्रीय तनावों को रोकने की दिशा में ऐसे विशेष समुदायों के योगदान पर उसके महत्व की तात्कालिकता की भावना से विस्तारपूर्वक विचार करना, तथा (ख) परिषद के कार्यक्रमों तथा

सिफारिशों तथा एकता और भाईचारे की भावना के प्रति राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों में जागरुकता पैदा करना।

उपर्युक्त सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिये, भारत सरकार ने, लेखकों की एक समिति गठन करने का निर्णय किया है, जिसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:—

(i) कार्य पद्धति निर्माण और उसके लिये ऐसे उपाय खोजना जिनसे राष्ट्रीय एकता के ध्येय की प्राप्ति की जा सके,

(ii) सर्वसाधारण तथा जनमत निर्माताओं में इन बातों के लिए जागरुकता पैदा करना

(क) राष्ट्रीयता का मूल्य,

(ख) विभिन्नता में एकता के तत्वों को पहचानने की आवश्यकता,

(ग) देश की समन्वय की भावना और उसकी समृद्ग तथा उन्नत सांस्कृतिक परम्पराओं की विरासत,

(घ) देश के ऐसे अतीत और वर्तमान महान् नेताओं, कलाकारों और लेखकों इत्यादि का योगदान जिन्होंने धार्मिक और अन्य मतभेदों से उपर उठ कर आध्यात्मिक, मानवीय अथवा राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर कार्य किया है:

(iii) उपयुक्त सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा अन्य क्षेत्रों का चुनाव जिनके जरिए, एकता, देश भक्ति सहिष्णुता, तथा सद्भाव का प्रसार किया जा सकता है और जिनसे जन मानस से दुर्भावना, अविश्वास तथा अलग अलग करने वाली आम प्रवृत्तियों को दूर किया जा सके।

संरचना:—समिति का गठन इस प्रकार होगा:—

(1) **अध्यक्ष**:—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री—पदेन

(2) **सदस्य**:—भारत सरकार द्वारा नामजद किए जाने वाले 18 प्रमुख लेखक।

(3) **सदस्य सचिव**:—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राष्ट्रीय एकता कार्य के कार्यभारी संयुक्त सचिव पदेन

कार्यविधि:—समिति के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष का होगा, किन्तु

(i) समिति के पदेन सदस्य तब तक सदस्य के रूप में रहेंगे जब तक वे पद धारण किए हुए हैं तथा जिसके आधार पर वे समिति के सदस्य हैं :

(ii) नामित सदस्य नामजद करने वाले प्राधिकारियों की सहमति रहने तक पद ग्रहण करेंगे, और

(iii) सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु वगैरह के कारण यदि कोई स्थान समिति में रिक्त होता है, तो उस रिक्त स्थान में नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष की कार्यविधि की शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा।

बैठक:—लेखकों की समिति की बैठक वर्ष में एक बार होगी। फिर भी अध्यक्ष द्वारा जरूरत पड़ने पर किसी भी समय मीटिंग बुलाई जा सकती है।

कार्य:—इस समिति के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) प्रस्तावित उद्देश्यों के आधार पर उपयुक्त कार्यक्रमों का बनाना तथा विकास करना;

(2) उपर्युक्त (1) को कार्यान्वित करने के लिए किए गए प्रयत्नों के सम्बन्ध में शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय को सलाह देना।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों तथा संघीय प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसद कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभागों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए।

दिनांक जून 1969

संकल्प

विषय:—उर्दू में विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रन्थों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय बोर्ड-तरक्की-ए-उर्दू की स्थापना।

सं० एफ० 6-41/69 आई० एल०-II—क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य निर्माण की केन्द्र द्वारा चालू-योजना के अधीन उर्दू में विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए संबंधित राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों और सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों तथा उर्दू विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य निमंत्रित व्यक्तियों का एक सम्मेलन 23 अप्रैल, 1969 को केन्द्रीय शिक्षा और युवक सेवा मंत्री डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में हुआ।

2. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उर्दू एक अन्तर्राज्यीय भाषा है, वह भारत की महत्वपूर्ण भाषाओं में से एक है और भारत के अनेक भागों के लोगों द्वारा, चाहे वे किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के हों, बड़े पैमाने पर बोली जाती है, इस सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि उर्दू साहित्य में आधुनिक विचारों को उपलब्ध करने के लिए प्रयत्न किये जाएं और उर्दू में पुस्तकों के निर्माण के काम को इस प्रश्न से न जोड़ा जाए कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम उर्दू बनायी जाएगी या नहीं। सम्मेलन ने निर्णय किया कि यह अच्छा होगा कि देश भर में स्थित विद्वत संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की सहायता से उर्दू साहित्य के निर्माण का दायित्व केन्द्रीय सरकार ग्रहण करे, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को यह काम अलग से नहीं सौंपा जा सकता।

3. इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए सम्मेलन ने भारत सरकार को उर्दू में विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों के निर्माण के लिए 'तरक्की-ए-उर्दू-बोर्ड' नामक एक केन्द्रीय बोर्ड को स्थापित करने की सिफारिश की।

4. सम्मेलन की सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए भारत सरकार ने तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड (उर्दू में विश्वविद्यालय स्तर के

मानक ग्रंथों के निर्माण का केन्द्रीय बोर्ड) की स्थापना करने का निश्चय किया है जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

उद्देश्य :—जब तक भारतीय जनता को अपनी मातृ-भाषा में आधुनिक अर्थ में ज्ञान उपलब्ध नहीं होगा तब तक आर्थिक और सामाजिक उन्नति संभव नहीं। इस प्रकार इस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी होगा कि उर्दू जानने वाले लोगों के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी मामलों का ज्ञान और आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों का ज्ञान उर्दू भाषा में उपलब्ध कराये। इसलिए विज्ञान प्राविधि और आधुनिकता पर बल देते हुए उर्दू में ज्ञान के सम्पूर्ण क्षेत्रों को समृद्ध करने की दिशा में पर्याप्त मात्रा में तात्विक प्रयत्न किया जाना चाहिए और यह प्रयत्न केवल मानविकी साहित्य की वृद्धि तक ही सीमित न रखा जाए।

गठन

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड (उर्दू में विश्वविद्यालय स्तर के मानक ग्रंथों के निर्माण का केन्द्रीय बोर्ड) का गठन इस प्रकार होगा :—

(1) अध्यक्ष	केन्द्रीय शिक्षा और युवक सेवा मंत्री	पदेन
(2) उपाध्यक्ष	भारत सरकार द्वारा नामजद	
(3) सदस्य	नौ गैर सरकारी सदस्य भारत सरकार द्वारा नामजद	
	(10) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	पदेन
	(11) महानिदेशक, भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद	पदेन
	(12) अध्यक्ष, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	पदेन
(4)	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में भाषाओं और ग्रंथ-निर्माण के कार्य-भारी संयुक्त सचिव	पदेन

कार्यविधि—बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष का होगा किन्तु :—

(1) बोर्ड के पदेन सदस्य तब तक सदस्य के रूप में रहेंगे जब तक वे पद धारण किये हुये हैं तथा जिसके आधार पर वे बोर्ड के सदस्य हैं।

(2) नामित-सदस्य नामजद करने वाले प्राधिकारियों की सहमति रहने तक पद ग्रहण करेंगे और

(3) सदस्य के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण यदि कोई स्थान बोर्ड में रिक्त होता है, तो उस रिक्त स्थान में नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष की कार्यवधि की शेष अवधि के लिए पद ग्रहण करेगा।

कार्य

1. भारतीय भाषाओं में साहित्य निर्माण की केन्द्र द्वारा चालू योजना के अधीन उर्दू में शैक्षणिक साहित्य तथा आधुनिक ज्ञान के प्रसार के लिए विज्ञान की पुस्तकों के सहित अन्य प्रकार के साहित्य और बाल साहित्य, संदर्भ-ग्रंथ और विश्व कोश और बुनियादी पाठ्य पुस्तकें आदि उपलब्ध कराना।

2. केन्द्रीय शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय को उपरोक्त-1 में निर्दिष्ट तथ्यों की पूर्ति से संबंधित मामलों में सलाह देना।

तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड को केन्द्रीय शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की सेवाएं उपलब्ध होंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड के सभी सदस्यों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, महा-निदेशक, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, तथा सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष, प्रधान मंत्री के सचिवालय, संसदीय मामलों के विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति के सचिवालय और सभी राज्य सरकारों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों को प्रेषित की जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत-राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

कान्ति चौधरी, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 6th June 1969

No. 32-Pres./69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name of the officer and rank

Shri Naresh Chandra Bhattacharjee,
Sub-Inspector,
84th Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 30th August, 1967, while patrolling in the Mizo Hills area with 29 Constables, Shri Naresh Chandra Bhattacharjee received information that a party of armed hostiles was likely to enter Indian territory from Pakistan. Accordingly, an ambush was laid at Thungchara on 6th September, 1967. At about 1730 hours, 2 hostiles along with a porter crossed the river and entered Indian territory leaving behind a party of about 10 armed hostiles to cover their advance from the other side of the river in Pakistan territory. The leading hostiles came to know of the presence of Indian Police party and opened fire on them narrowly missing Shri Bhattacharjee. With commendable initiative, he immediately readjusted the ambush and himself advanced to a vantage point from where at great risk to his own life he killed one hostile and the porter. He also injured the second hostile who died while crossing the river back to Pakistan. In the meantime the hostiles opened fire from the Pakistan side of the river to remove the dead bodies and their arms, Shri Bhattacharjee again organised his party and repulsed the hostiles who then retreated into Pakistan territory. Some arms and ammunition were recovered.

In this action, Shri Naresh Chandra Bhattacharjee displayed exceptional courage and gallantry in liquidating the leading hostiles.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and conse-

quently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 6th September, 1967.

The 11th June 1969

CORRIGENDUM

No. 33-*Pres.*/69.—In this Secretariat Notification No. 11-Pres./52, dated the 26th January, 1952, published in Part 1, Section 1 of the Gazette of India, dated the 26th January, 1952 :—

On page 123

For "2731469 Sepoy RAJARAM KHANVILKAR, 5 Bn., The Mahratta Light Infantry".

Read "2731649 Sepoy RAJARAM KHANVILKAR, 5 Bn., The Maratha Ligh Infantry".

The 13th June 1969

No. 34-*Pres.*/69.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name of the officer and rank

Shri Ram Muni Upadhya,

Assistant Commandant,

87th Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Ram Muni Upadhya was stationed with his Company at Puankai Border Outpost in Mizo Hills. On the afternoon of 9th June 1968, when he was returning from a long patrol lasting six days, he received information that a party of about fifteen armed hostiles was likely to cross over to Pakistan. Though the Patrol party was fatigued after the long patrol, they immediately set out to intercept the hostiles and did so by covering a distance of about 7 miles in just an hour. The hostiles opened heavy fire on the Border Security Force patrol. Shri Upadhya ordered one Section of his Company to engage the hostiles while he himself took the rest of the men to launch an attack from a dominating feature on the flank. The exchange of fire continued for over forty-five minutes by which time it was getting dark. Shri Upadhya, seeing that the hostiles might escape under the cover of darkness, immediately launched an assault on them without waiting for the covering Section to join him. This determined assault completely surprised the hostiles who suffered heavy casualties and fled leaving behind four dead. Some valuable equipment, documents and ammunition were captured. It was because of the prompt action by Shri Upadhya and the conspicuous courage displayed by him that the Border Security Force patrol foiled the attempt of the hostiles to cross into Pakistan.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal.

No. 35-*Pres.*/69.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name of the officer and rank

Shri Mohindra Nath Chetia,

Head Constable,

87th Battalion, Border Security Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

A company of Border Security Force was stationed at Puankai Border Outpost in Mizo Hills. On the afternoon of 9th June, 1968, when the Company was returning from a long patrol lasting six days, information was received that a party of about fifteen armed hostiles was likely to cross over to Pakistan. Though the Patrol party was fatigued after the long patrol, they immediately set out to intercept the hostiles and did so by covering a distance of about 7 miles in just an hour. Shri Mohindra Nath Chetia was Second-in-Command of the patrol party and encouraged the men in their dash to intercept the hostiles. When the Patrol party established contact with the gang, the hostiles opened heavy fire on them. Shri Chetia was ordered to engage the gang. He returned the fire ably and showed conspicuous courage in launching an assault on the hostiles. At the same time, he inspired the men of the Patrol party and also assisted his Company Commander. The exchange of fire continued for over 45 minutes. Because of the determined action of the Section led by Shri Chetia and the rest of the Platoon, the hoistiles suffered casualties and fled leaving behind valuable equipment, documents and ammunition.

2. This award is made for gallantry under rules 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th June, 1968.

V. J. MOORE, Dy. Secy. to the President

PLANNING COMMISSION

RESOLUTION

New Delhi, the 7th June 1969

Panel on Small Scale Industries

No. VSI/27(4)/68.—In partial modification of the Resolution of even No., dated the 11th July 1968, the Planning Commission hereby appoints Shri S. E. Joseph, Director (VSI), Planning Commission, as Secretary of the said Panel, *vice* Dr. D. K. Malhotra, Joint Secretary, Planning Commission, who has retired.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to all concerned.

B. D. PANDE, Secy., Planning Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 10th June 1969

CORRIGENDUM

No. 4/75/68-*AIS*(*IV*).—In the Ministry of Home Affairs Notification No. 4/75/68-AIS(IV), dated the 4th January 1969 published in the Gazette of India dated the 4th January 1969 the following corrections shall be made :—

References and Corrections

(1) *Appendix III*

Page 29, Col. 2, item (f), line 5—*For* figure "30/2" *read* figure "50/2".

(2) *Appendix IV*

Page 30, col. 1, para 4, line 1—*For* word "chest" *read* word "height".

(3) *Appendix IV*

Page 31, col. 1, para 7, heading "Method of taking Blood Pressure", line 3—*For* word "fitness" *read* word "fifteen".

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY

Department of Foreign Trade

New Delhi, the 11th June 1969

No. 4(20)-*Tex*(*D*)/66.—In the Government of India, late Ministry of Commerce Resolution No. 4(20)-Tex(D)/66, dated the 13th December 1966, constituting a Committee to go into the programmes of the main export-oriented agricultural commodities, the following modifications have been made; namely :—

In Para I under "Members" the following may be added after serial No. 5 :

"6. Shri K. Ramamurthy, Joint Secretary, Department of Agriculture—*Co-Secretary.*

7. Shri P. K. Samal, Joint Secretary, Ministry of Foreign Trade and Supply—*Co-Secretary.*"

In Para 2—"terms of reference of the Committee"—the following is added after item (iii) :—

"(iv) to examine the various problems relating to exports of agricultural commodities and suggest remedial measures in order to achieve speedy results."

A. G. V. SUBRAHMANIAM, Under Secy.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION

(Department of Agriculture)

RESOLUTION

New Delhi, the 5th June 1969

No. 4-15/68-*Lands.*—The Land Acquisition Review Committee appointed by the Government of India *vide* Resolution No. 6-6/67-Genl.II, dated the 27th July, 1967 read with Resolutions No. 4-15/68-Lands, dated the 5th March, 1968 24th July, 1968, the 28th November 1968 and the 15th March 1969 of the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Department of Agriculture), for examining the entire frame work of the Land Acquisition Act, 1894 in the context of a rapidly developing economy, was required to submit its report by the 30th June, 1969. The Government of India has now decided to extend the date for submission of the Report by the Committee to 30th September, 1969.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and Members of the Land Acquisition Review Committee, All Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat,, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Revenue Secretaries in all State and Union Territories, the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SARAN SINGH, Jt. Secy.

RESOLUTION

New Delhi-1, the 7th June 1969

No. 16-1/69-*C.A.II.*—Development of horticulture as an industry in India has assumed great importance. Fruits and vegetables are important as subsidiary foods and occupy a foremost place in human nutrition by providing essential protective foods. Some of these crops have very good potentialities for export. Horticulture development projects have been undertaken by the Central and State Governments commencing with the Second Five-Year Plan. Private enterprise has made notable contribution, particularly, in processing. In order to increase production of these crops by adopting sound scientific agro-techniques for meeting the increasing demands of the country, the tempo of horticulture development has to be stepped up in the Fourth Plan. Integrated horticulture development must provide adequate marketing and processing facilities. To ensure concerted and well-coordinated efforts both in the private and public sectors towards implementation of various programmes for increasing horticulture production in the country, the Government of India has decided to set up a Horticulture Development Council.

2. The Council has accordingly been constituted as under :—

I. *Chairman*

Growers representative to be nominated by the Government of India.

II. *Vice-Chairman*

Additional Secretary (Production), Department of Agriculture, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

III. *Members*

(a) Representatives of the State Governments.
Directors of Agriculture or Horticulture from eight States and Union Territories; two from each Region to be nominated by the Government of India for two years by rotation.

(b) Representatives of the Central Government.

(i) One representatives of the Planning Commission.

(ii) One representative of the Ministry of Commerce.

(iii) Director General, Indian Council of Agricultural Research or his representative.

(iv) Agricultural Commissioner/Joint Commissioner (Cash Crops).

(v) Agricultural Marketing Adviser to the Government of India.

(vi) Director, Central Food Technological Research Institute, Mysore or his representative.

(vii) Secretary, National Cooperative Development Corporation.

(c) Growers representatives.
Twelve progresive fruit and vegetable growers.

(d) Three representatives of the Trade.

(e) Three representatives of the fruit & Vegetable processing industry.

(f) Such additional members as may from time to time be nominated by the Government of India to give representation to interests not represented in the Council.

IV. *Member-Secretary*

Deputy Commissioner (Horticulture) in the Department of Agriculture, Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation.

V. *Observers*

(Who would not be members of the Committee, but would invariably be invited to assist the Council in its deliberations).

(i) Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation.

(ii) Head of the Division of Horticulture. Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

(iii) Director, I.C.A.R. Institute of Horticultural Research, Bangalore.

3. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) to consider, from time to time the horticulture development programmes formulated by the Central and State Governments;

(ii) to consider and review the progress of horticulture development in the context of targets laid down;

(iii) to recommend measures for accelerating the tempo of development programmes/schemes, wherever necessary;

(iv) to consider and review the problems of horticulture marketing and trade, including price policy, and to make suggestions for improvement; and

(v) any other function, which may, from time to time, be assigned by the Government of India to the Council.

4. The duration of membership will be for three years. Where a person is nominated as a member of the Council by virtue of an office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment and the vacancy so caused shall be filled by his successor to that office.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Govern-

ment of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

Department of Community Development

RESOLUTION

New Delhi, the 6th June 1969

No. F. 5-1/66-PR.—Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation Resolution No. 5-1/66-PR, dated 5-4-1969 is amended as follows :—
In para 2 against Serial No. (12)

For "Minister of State for Local-Self Government (Rural) and Panchayati Raj, Government of Madhya Pradesh, Bhopal".

read 'Minister for Local-Self Government (Rural), Government of Madhya Pradesh, Bhopal'.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Secretary Local-Self Government (Rural), Government of Madhya Pradesh, Bhopal.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. N. A. AGHA, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

NATIONAL AWARDS FOR FILMS

RESOLUTION

New Delhi, the 7th June 1969

(AMENDMENT)

No. 7/1/69-FI(NA).—In the Ministry of Information and Broadcasting Resolution No. 7/1/69-FI(NA), dated the 7th February, 1969 regarding National Awards for Films and as amended *vide* Resolution of even number dated 5th April, 1969, the following further amendment is made :—

The following shall be inserted at the end of clause (h) of Rule 6 :

".....excepting in the case of information film (documentary)".

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PUBLIC NOTICE

No. 7/12/69-FI(NA).—Government of India have decided that under the scheme for National Awards for Films there will be no limit on the maximum length for films entered under the category of 'Information Film (Documentary)'. Accordingly to enable further entries to be made with reference to this relaxation the last date for submission of entries of films under this category for the National Awards for Films produced during the year 1968, is extended upto June 25, 1969.

BANU RAM AGGARWAL, Under Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

Transport Wing

RESOLUTION

New Delhi, the 3rd June 1969

No. 19-T(14)/68.—The incidence of road accidents in the country has been on the increase during the last few years. Several measures have ben taken by Government and non-official agencies for promoting road safety and eliminating traffic hazards. However, inspite of these measures, there is no significant improvement in the position. It has been felt that there is need to go into the whole question of road safety including collection and analysis of data and suggest practical measures for implementation. It has accordingly been decided to set up a Study Group to undertake such a study so that concrete proposals may emerge from it.

2. The composition of the Study Group will be as follows :

Chairman

(i) Prof. K. T. Merchant, "Panch Sheel", C-Road, Marine Drive, Churchgate, Bombay.

Members

(ii) Shri Himatlal V. Gandhi, 17, Horniman Circle, Bombay.

(iii) Shri B. N. Lahiri, 3, Ponnappa Road, Allahabad.

(iv) Shri Indrakant Patel, Tractor House, Vishwamitri, Baroda.

(v) Shri D. K. Sen, Akash Deep, 5, Lower Rawdon Street, Calcutta.

Shri K. G. Subramanian, Secretary, Western India Automobile Association, Bombay, will work as Secretary of the Group in an honorary capacity.

3. The terms of reference of the Study Group will be as follows :

(a) to enquire into the incidence of road accidents both in urban areas and on Highways in India, ascertain the causes of such accidents and suggest a suitable organisational set-up for collection and analysis of data/statistics relating to such road accidents;

(b) to suggest measures for education of road users in road safety and better enforcement of traffic laws and regulations and recommend improvements in roads as may be necessary to ensure the maximum possible safety on roads; and

(c) to suggest such other measures as may be germane to (a) and (b) above.

4. The headquarters of the Study Group will be at Bombay but it will be free to visit such places as it may consider necessary in connection with its work. The Central Government hope that the State Governments, local bodies and others concerned will afford the Group all assistance it may require and furnish any information which it may call for.

5. The Study Group will endeavour to submit its report within three months from the date of its first meeting.

ORDER

ORDERED that copies of the resolution be communicated to all concerned and also that it be published in the Gazette of India for general information.

K. NARAYANAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES

New Delhi-1, the 3rd June 1969

No. F. 1-12/65-NCERT.—For "Dr. D. Misra, Vice-Chancellor, Utkal University, Bhubaneswar" against item 8 of Notification No. F. 1-12/65-NCERT, dated the 24th April, 1969 the following shall be *substituted* :—

"Dr. S. Misra, Vice-Chancellor, Utkal University, Bhubaneswar".

KANWAR LAL, Under Secy.

RESOLUTIONS

New Delhi, the 7th June 1969

SUBJECT : *Setting up of Committee of Educationists and Leaders of Student Organizations to act as spearhead for a mass movement in the cause of National Integration.*

No. F. 11-12/69-*IL II(NIC)*.—The Standing Committee of the National Integration Council at its meeting held in October 1968 recommended the setting up of a number of committees composed of members drawn from various fields of national life to act as spearheads for a mass movement in the cause of national integration. The main purpose of these committees would be (a) to consider with a sense of urgency, and in some detail, the contributions which specialized groups could make towards promotion of national integration and in particular, prevention of communal and regional tensions; and (b) to create an awareness at different levels and sectors of national life of the programmes and recommendations of the Council and of the paramount need for solidarity and fraternity.

To give effect to the above recommendation, the Government of India has decided to set up a Committee of Educationists and Leaders of Youth and Student Organizations with the following objectives :

(i) to examine syllabi, curricula and textbooks with a view to emphasising values that would promote unity and mutual tolerance and excluding material that tends to promote ill-will or hatred between groups and communities on any grounds whatsoever; and

(ii) to recommend measures for eliminating from the organizations of students and teachers any narrow or communal feelings and to imbue them with a sense of national purpose and fraternal feelings.

Composition

The Committee of Educationists and Leaders of Youth and Student Organizations will be composed of :

(1) *Chairman*

Minister of Education and Youth Services—*Ex-officio.*

(2) *Members*

40 members comprising educationists, youth and student leaders to be nominated by the Government of India.

(3) *Member-Secretary*

Joint Secretary in charge of the work of National Integration in the Ministry of Education and Youth Services—*Ex-officio.*

Tenure

The tenure of the members of the Committee shall be 3 years from the date of appointment provided that—

(i) The *ex-officio* members of the Committee shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Committee,

(ii) The nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority, and

(iii) If a vacancy arises on the Committee due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of 3 years.

Meetings

The Committee of Educationists and Leaders of Youth and Student Organizations shall meet not less than once a year. Meetings may, however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

Functions

The functions of the Committee shall be

(1) to formulate and develop suitable programmes on the basis of the objectives setforth before it,

(2) to advise the Union Ministry of Education and Youth Services on steps to be taken to implement (1) above.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUBJECT : *Setting up of a Committee of Writers to act as a spearhead for a mass movement in the cause of national integration.*

No. F. 11-13/69-*IL II(NIC)*.—The Standing Committee of the National Integration Council at its meeting held in October, 1968 recommended the setting up of a number of committees composed of members drawn from various fields of national life at act as spearheads for a mass movement in the cause of national integration. The main purpose of these committees would be (a) to consider with a sense of urgency, and in some detail, the contributions which specialized groups could make towards promotion of national integration and, in particular, prevention of communal and regional tensions; and (b) to create an awareness at the different levels and sectors of national life of the programmes and recommendations of the Council and of the paramount need for solidarity and fraternity.

To give effect to the above recommendation, the Government of India have decided to set up a Committee of Writers with the following objectives :—

(i) Determination of strategy and the means by which the objective of national integration can be promoted;

(ii) Creation amongst opinion makers and members of the public an awareness of

(a) the value of nationhood,

(b) the need for recognising elements of unity in diversity,

(c) the country's heritage of harmony and its rich and ennobling cultural traditions, and

(d) the contribution of its great leaders and artists, writers, etc. of the past and the present which are marked by spiritual, humanistic or nationalist feeling transcending religious and other differences.

(iii) Selection of suitable cultural, literary and other avenues through which the message of unity, integration, tolerance and harmony can be put across and people's minds can be weaned away from ill-will, distrust, and divisive tendencies generally.

Composition

The Committee of Writers will be composed of :—

(1) *Chairman*

Minister of Education & Youth Services—*Ex-officio.*

(2) *Members*

Eighteen eminent writers to be nominated by the Government of India.

(3) *Member-Secretary*

Joint Secretary in charge of the work of National Integration in the Ministry of Education & Youth Services.—*Ex-officio.*

Tenure

The tenure of the members of the Committee shall be three years from the date of appointment provided that

(i) the *ex-officio* members of the Committee shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Committee,

(ii) the nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority, and

(iii) if a vacancy arises on the Committee due to resignation, death, etc. of a member, the member appointed

in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of three years.

Meetings

The Committee of Writers shall meet not less than once a year. Meetings may, however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

Functions

The functions of the Committee shall be

(1) to formulate and develop suitable programmes on the basis of the objectives setforth before it;

(2) to advise the Union Ministry of Education and Youth Services on steps to be taken to implement (1) above.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Administrations, Prime Minister's Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, President's Secretariat and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 10th June 1969

SUBJECT : *Setting up of a Central Board-Tarraqi-e-Urdu Board for production of University standard books in Urdu.*

No. F. 6-41/69-IL-II.—To consider the production of University standard books in Urdu under the Centrally Sponsored Scheme of Production of Literature in Regional Languages, a Conference of Education Ministers of concerned States and Vice Chancellors and Heads of Urdu Departments of concerned Universities and other invitees was held on 23rd April, 1969 under the Chairmanship of Dr. V. K. R. V. Rao, Union Minister of Education and Youth Services.

2. In view of the fact that Urdu is an inter-State language and it is one of the important languages of India widely spoken by a cross section of the Indian community irrespective of the faith and creed they may profess, the Conference stressed the point that efforts should be made to make available modern thought in Urdu literature and that the production of books in Urdu should not be linked up with the question of making Urdu the medium of instruction at the University level. The Conference decided that with the assistance of the academic institutions and universities situated all over the country, it would be better if the responsibility for production of Urdu literature be taken up at the Central level because no single State Government could be entrusted with this work.

3. To implement this decision, the Conference recommended to the Government of India to set up a Central Board to be called 'Tarraqi-e-Urdu Board' for production of University standard books in Urdu.

4. To give effect to the recommendations of the Conference, the Government of India has decided to set up Tarraqi-e-Urdu Board (Central Board for production of University standard books in Urdu) with the following objective :—

Objective

No economic or social progress is possible unless and until knowledge in the modern sense of the term is available to the people in the languages they speak at home. Thus it will be an important objective of the Board to make available knowledge of scientific and technological matters and knowledge of ideas evolved in the modern context in the Urdu language for the Urdu knowing people. A fairly substantial amount of effort should, therefore, be directed towards the enrichment of the whole field of knowledge in Urdu with emphasis on science, technology and modernity and not merely on humanistic literature.

Composition

The Tarraqi-e-Urdu Board (Central Board for production of University standard books in Urdu) will consist of :

(1) *Chairman*

Minister of Education & Youth Services—*Ex-Officio.*

(2) *Vice-Chairman*

To be nominated by the Government of India.

(3) *Members*

9 Non-Official Members (to be nominated by the Government of India).

(10) Chairman, University Grants Commission—*Ex-Officio.*

(11) Director-General, Council of Scientific and Industrial Research—*Ex-Officio.*

(12) Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology—*Ex-Officio.*

(4) *Member-Secretary*

Joint Secretary in-charge of Languages and Book Production in the Union Ministry of Education & Youth Services—*Ex-Officio.*

Tenure

The tenure of the Members of the Board shall be three years from the date of appointment provided that :—

(i) The *ex-officio* members of the Board shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Board;

(ii) the nominated members shall hold office during the pleasure of the nominating authority; and

(iii) if a vacancy arises on the Board due to resignation, death etc. of a Member, the member appointed in that vacancy shall hold office for the residue of the tenure of 3 years.

Meetings

The Tarraqi-e-Urdu Board shall meet not less than once a year. Meetings may, however, be convened by the Chairman at any time as may be deemed necessary.

Functions

(1) To make available under the Centrally sponsored Scheme of Production of Literature in Indian Languages, academic literature as well as other types of literature in Urdu including Science books for disseminating modern knowledge and children's literature; reference works and encyclopaedias and basic texts etc.

(2) To advise the Union Ministry of Education and Youth Services on all matters pertaining to fulfilling the objective stated at (1) above.

5. The Tarraqi-e-Urdu Board will be serviced by the Commission for Scientific and Technical Terminology, Union Ministry of Education and Youth Services.

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution be communicated to all members of the Tarraqi-e-Urdu Board, Chairman, University Grants Commission, Director-General, Council of Scientific and Industrial Research, all Vice-Chancellors, Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology, Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all State Governments, Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KANTI CHAUDHURI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1969